



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022024-251919  
CG-DL-E-07022024-251919

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2024/माघ 18, 1945

No. 539]

NEW DELHI, WEDESDAY, FEBRUARY 7, 2024/MAGHA 18, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2024

का.आ. 567(अ).—केंद्रीय सरकार ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-

- श्री अरिजीत साहा, अनुसंधान सहायक (जैव रसायन);
- श्री तुज्या रे, अनुसंधान सहायक (औषध-भेषजीय रसायन विज्ञान),

को केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, इंदौर में औषधि के निम्नवर्णित वर्गों के सिवाय औषधियों के सभी वर्गों के संबंध में पूरे भारत के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त करती है, अर्थात् -

- सेरा;
- इंजेक्शन के लिए आशयित से सीरम प्रोटीन का सोलुशन;
- वैक्सीन;
- विषाक्त पदार्थ;
- एंटीजन;

6. विषाक्तरोधी पदार्थ;
7. विसंक्रमित शल्य पट्टी और विसंक्रमित सीवन ;
8. बैक्टीरियोफेज;
9. पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एंटी-सेरा;
10. पशु चिकित्सा उपयोग के लिए वैक्सीन;
11. पशु चिकित्सा उपयोग के लिए टॉक्सोइड्स;
12. पशु चिकित्सा उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन;
13. रतिज रोग अनुसंधान प्रयोगशाला एंटीजन;
14. मानव रक्त और मानव रक्त उत्पाद जिसके अंतर्गत मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंटीबॉडी से मुक्त होने के परीक्षण के घटक भी है;
15. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए रक्त समूहीकरण अभिकर्मक और निदान किट; और
16. कंडोम।

[फा. सं. एक्स.11035/144/2023-डीआरएस]

राजीव वाधवान, सलाहकार (लागत)

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Department of Health and Family Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2024

**S.O. 567(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints —

- i. Shri. Arijit Saha, Research Assistant (Biochemistry);
- ii. Shri. Turjya Ray, Research Assistant (Pharmaceutical Chemistry),

at the Central Drugs Testing Laboratory, Indore to be the Government Analysts for the whole of India in respect of all classes of drugs except the classes of drugs mentioned below, namely:—

1. Sera ;
2. Solution of Serum Proteins intended for injection ;
3. Vaccines ;
4. Toxins ;
5. Antigens ;
6. Anti-toxins ;
7. Sterilised surgical ligature and sterilised suture ;
8. Bacteriophages ;
9. Anti-Sera for Veterinary use ;
10. Vaccines for Veterinary use ;
11. Toxoids for Veterinary use ;
12. Diagnostic Antigens for Veterinary use ;
13. Venereal Disease Research Laboratory Antigen ;
14. Human Blood and Human Blood Products including components, to test for freedom for Human Immunodeficiency Virus antibodies;
15. Blood Grouping reagents and diagnostics kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis E Virus; and
16. Condoms.

[F. No. X.11035/144/2023-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Adviser (Cost)